

SECOND HALF YEARLY DEPARTMENTAL EXAMINATION, 2013

CENTRAL EXAMINATION COMMITTEE, BIHAR

LAW (WITHOUT BOOK)—FOR INDIAN POLICE SERVICE OFFICERS.

Time--Three hours.

Full marks--160

Pass marks--100

Part 'A'/खंड 'क'

Objective type questions/वस्तुनिष्ठ प्रश्न

Answer all the questions. Four alternative answers have been given for each question. Only one answer is correct. Write the answer in front of the question at the place provided for it. There is no negative marking. Each question carries two marks.

40×2=80

सभी प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के चार वैकल्पिक उत्तर दिये गये हैं। केवल एक उत्तर सही है। प्रश्न के सामने दिये गये स्थान पर अपना उत्तर लिखें। गलत उत्तर के लिये अंक नहीं काटे जायेंगे। प्रत्येक प्रश्न दो अंकों का है।

1. In proceeding under Sec. 107, Cr.P.C. an Executive Magistrate may require to execute a bond for keeping peace for such period, not exceeding—

- (a) One year (b) Two years
 (c) Three years (d) Six months

किसी 107 द०प्र०सं० के अधीन कार्यवाही में कोई कार्यपालक दण्डाधिकारी परिशान्ति कायम रखने के लिये कितने वर्ष से अनधिक का बन्धपत्र निष्पादित करने का अपेक्षा कर सकता है—

- (क) एक वर्ष (ख) दो वर्ष
 (ग) तीन वर्ष (घ) छः माह

2. No order issued under Sec. 144 Cr.P.C. shall generally remain in force for more than—

- (a) 15 days (b) 1 month
 (c) 2 months (d) 7 days

धारा 144 द०प्र०सं० के अधीन कोई आदेश, सामान्यतः कितने समय से ज्यादा प्रवृत्त न रहेगा—

- (क) 15 दिन (ख) एक माह
 (ग) 2 माह (घ) 7 दिन

3. In which of the following the right of private defence does not extend to cause death of the offender—

- (a) Rape (b) Gratifying unnatural lust
 (c) Causing miscarriage (d) Kidnapping

प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार निम्नलिखित में से किस अपराध के लिये हमलावर की मृत्यु कारित करने तक नहीं है—

- (क) बलात्कार (ख) प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा की तृप्ति
 (ग) गर्भपात कारित करना (घ) अपहरण

4. When force or violence is used by an unlawful assembly or by any member thereof, in prosecution of the common object, every member is guilty of—

- (a) Rioting (b) Affray
 (c) Unlawful Assembly (d) Assault

जब विधि विरुद्ध जमाव द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा उस जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तब ऐसा जमाव के प्रत्येक सदस्य दोषी होगा—

- (क) बलवा के लिये (ख) दंगा के लिये
 (ग) विधि विरुद्ध जमाव (घ) हमला के लिये

5. Sexual intercourse by a man with his own wife is not rape, if the wife is above—

- (a) 18 years of age (b) 15 years of age
 (c) 16 years of age (d) 14 years of age

पुरुष का अपनी पत्नी के साथ यौन क्रिया, बलात्संग नहीं है, यदि पत्नी की उम्र अधिक है—

- (क) 18 वर्ष से (ख) 15 वर्ष से
 (ग) 16 वर्ष से (घ) 14 वर्ष से

6. "A" meets "B" and his child in a Jungle, A takes the child and threatens to kill him unless "B" delivers his purse. A has committed—

- (a) Extortion (b) theft
 (c) Robbery (d) dacoity

'ए' जंगल में 'बी' एवं उसके बच्चे से मिलता है। 'ए' उसके बच्चे को पकड़ लेता है और यह धमकी देता है कि यदि 'बी' उसको अपनी थैली नहीं परिचित कर देता है, तो वह बच्चे को जान मार देगा, 'ए' ने कारित किया है—

- (क) उद्योपन (ख) चोरी
 (ग) लूट (घ) डकैती

7. Which of the following is an offence which is punishable in four stages—

- (a) Robbery (b) Dacoity
 (c) Murder (d) Rape

निम्नलिखित में से कौन-सा अपराध चार चरणों में दण्डनीय है—

- (क) लूट (ख) डकैती
 (ग) हत्या (घ) बलात्कार

8. The fact which form part of same transaction are relevant under section—

- (a) 5 Indian Evidence Act (b) 6 Indian Evidence Act
 (c) 7 Indian Evidence Act (d) 8 Indian Evidence Act

जो तथ्य एक ही संव्यवहार के भाग हैं, वे किस धारा के अंतर्गत सुसंगत हैं—

- (क) 5 भा०सा०अधि० (ख) 6 भा०सा०अधि०
 (ग) 7 भा०सा०अधि० (घ) 8 भा०सा०अधि०

9. Six persons assembled on the platform of Patna Railway Station and started fighting with each other. The passengers present at the railway station got annoyed and felt disturbed. The public reported the matter to the police. These six persons are guilty of—

- (a) Unlawful assembly (b) Rioting
 (c) Affray (d) Assault

छः व्यक्ति पटना रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर जमा हुये और आपस में लड़ाई करने लगे। रेलवे स्टेशन पर उपस्थित यात्रियों को परेशानी हुई। मामले की सूचना पुलिस को दी गयी। ये छः व्यक्ति दोषी हैं—

- (क) विधि विरुद्ध जमाव (ख) बलवा
 (ग) दंगा (घ) हमला

10. Which of the following is not an essential search procedure under Section 100 of the Code of Criminal Procedure, 1973—

- (a) Joining of two independent and respectable inhabitants of the locality in the search, as witnesses
 (b) Signing of search memo by the witness to search
 (c) Attendance of occupant of the place or some person in his behalf during the search
 (d) Signature of the accused on the search list.

द०प्र०सं० की धारा 100 के अंतर्गत तलाशी प्रक्रिया के लिये निम्नलिखित में कौन आवश्यक नहीं है—

- (क) तलाश में साक्षी बनने के लिये मुहल्ले के दो स्वतंत्र एवं प्रतिष्ठित निवासियों को बुलाया जायेगा
- (ख) तलाशी के साक्षियों द्वारा तलाशी में मो पर हस्ताक्षर किया जायेगा
- (ग) स्थान का भारसाधक व्यक्ति या उसकी ओर से किसी व्यक्ति का तलाशी के दौरान उपस्थिति
- (घ) तलाशी सूची पर अभियुक्त का हस्ताक्षर।

11. A Servant stole a watch from bedroom of teacher while armed with knife in his pocket. He committed crime in what section—

- (a) 382 IPC (b) 380 IPC
- (c) 381 IPC (d) 381 & 382 IPC.

एक नौकर ने शिक्षक के बेडरूम से घड़ी चुरा ली। उस समय वह अपने जेब में चाकू से लैस था। उसने किस धारा के अन्तर्गत अपराध किया—

- (क) 382 भा०द०वि० (ख) 380 भा०द०वि०
- (ग) 381 भा०द०वि० (घ) 381 एवं 382 भा०द०वि०।

12. No Court can take cognizance of an offence against marriage (Punishable under Chapter XX, IPC) unless a complaint is made by—

- (a) Wife
- (b) Husband
- (c) Some person who is aggrieved by the offence
- (d) All of the above.

कोई न्यायालय विवाह संबंधी अपराधी का संज्ञान तबतक नहीं लेगा जबतक इस संबंध में परिवार दायर किया गया है—

- (क) पत्नी द्वारा (ख) पति द्वारा
- (ग) ऐसे अपराध से व्यथित किसी व्यक्ति द्वारा (घ) उपरोक्त सभी।

13. "A" is invited by "B" for a cup of tea. While "B" is in the kitchen preparing tea, "A" finds a golden ring on the table. He picks it up and places it hidden somewhere in the room with the intention of dishonestly taking it away sometime later. A commits—

- (a) No offence (b) Extortion
- (c) Attempt to commit theft (d) Theft.

'ए' को 'बी' ने चाय के लिये आमंत्रित किया। जब 'बी' रसोईघर में चाय तैयार कर रहा था, 'ए' ने टेबुल पर एक सोने की अंगुठी देखा। उसने अंगुठी उठाकर कमरे में दूसरे स्थान पर छुपाकर इस आशय से रख देता है कि उसका उद्देश्य बाद में बेईमानी कर उसे लेना है 'ए' ने अपराध किया है—

- (क) कोई अपराध नहीं (ख) उच्चापन
- (ग) चोरी का प्रयास (घ) चोरी।

14. A person could be convicted for sending his horse to graze on the land belonging to another as it amounts to—

- (a) Theft (b) Mischief
- (c) Criminal breach of trust (d) Criminal trespass.

एक व्यक्ति अपने घोड़े को दूसरे के खेत में फसल चरने के आशय से प्रवेश कारित करने के लिये दोषसिद्धि हो सकता है, क्योंकि यह—

- (क) चोरी (ख) रिफ्ट
- (ग) आपराधिक न्यासभंग (घ) आपराधिक अतिचार का मामला हुआ।

15. What number of witnesses will be required for the proof of any fact—

- (a) No particular number (b) At least one eyewitness
- (c) Two witnesses with regard to documents (d) One party and one witness.

किसी मामले में किसी तथ्य का साबित करने के लिये कितने साक्षियों का साक्ष्य अपेक्षित है—

- (क) कोई विशिष्ट संख्या नहीं (ख) कम-से-कम एक चक्षुदर्शी
- (ग) दस्तावेज हेतु दो साक्षी (घ) एक पक्षकार और एक साक्षी।

16. Under Section 325, Cr.P.C. whenever a Magistrate is of opinion, after hearing the evidence for prosecution and the accused, that the accused is guilty and that he ought to receive a severe punishment than such Magistrate is empowered to inflict, the Magistrate may forward the case to

- (a) Sessions Judge (b) Chief Judicial Magistrate
 (c) District Magistrate (d) Concerned Police Station.

जब कभी अभियोजन और अभियुक्त का साक्ष्य सुनवाई के पश्चात् मजिस्ट्रेट की यह राय है कि अभियुक्त दोषी है और यह कि उसे उस दण्ड से अधिक कठोर दण्ड दिया जाना चाहिये जो वह मजिस्ट्रेट देने के लिये सशक्त है, तब मजिस्ट्रेट मामले को—

- (क) सेशन जज (ख) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
 (ग) जिला दण्डाधिकारी (घ) संबंधित पुलिस स्टेशन भेज सकता है।

17. When the person who would otherwise be competent to compound an offence under Section 320 of the Code of Criminal Procedure, 1973 is dead, then—

- (a) Offence cannot be compounded
 (b) Offence can be compounded by any of the eyewitnesses
 (c) Legal representative of such person can compound the offence without the consent of the Court
 (d) Legal representative of such person can compound the offence with the consent of the Court.

जब वह व्यक्ति जो धारा 320 द०प्र०स० के अधीन अपराध का शमन करने के लिये सक्षम है, मर जाता है तो

- (क) उस अपराध का शमन नहीं होगा
 (ख) उस अपराध का शमन किसी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी द्वारा हो सकेगा
 (ग) मृत व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधि द्वारा बिना न्यायालय के सम्मति से
 (घ) मृत व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधि द्वारा न्यायालय की सम्मति से।

18. Direction by magistrate to the police to investigate under 202 Cr.P.C.—

- (a) Can be given without examining the complainant on oath
 (b) Cannot be given without examining the complainant on oath
 (c) Can be given before or after examining the complainant on oath
 (d) Both (a) and (c).

मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 202 द०प्र०स० के अधीन पुलिस पदाधिकारी को अन्वेषण हेतु निर्देश दे सकता है—

- (क) बिना परिवादी का शपथ पर परीक्षा के दे सकता है
 (ख) बिना परिवादी का शपथ पर परीक्षा के नहीं दिया जा सकता है
 (ग) परिवादी का शपथ पर परीक्षा के पहले या बाद में दे सकता है
 (घ) (क) एवं (ग) दोनों।

19. An accomplice is a competent witness against an accused person under—

- (a) Section 117 Indian Evidence Act (b) Section 118 Indian Evidence Act
 (c) Section 132 Indian Evidence Act (d) Section 133 Indian Evidence Act.

एक अभियुक्त के विरुद्ध एक सह-अपराधी एक सक्षम साक्षी है—

- (क) धारा 117 भा०स०अधि० (ख) धारा 118 भा०स०अधि०
 (ग) धारा 132 भा०स०अधि० (घ) धारा 133 भा०स०अधि०।

20. Whether the confession made to a police officer shall be proved as against a person accused of offence—

- (a) Such confession is admissible into evidence
 (b) Such confession is not admissible into evidence
 (c) Such confession is inadmissible in evidence except so far as provided U/s 27 of the Evidence Act
 (d) Such confession is admissible in evidence except so far as provided U/s 29 of the Evidence Act.

क्या पुलिस पदाधिकारी के समक्ष अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति साक्ष्य की जा सकती है

- (क) ऐसी संस्वीकृति साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य है
 (ख) ऐसी संस्वीकृति साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं है

- (ग) ऐसी संस्वीकृति स्वीकार्य नहीं है, सिवाय धारा 27 भा०स०अधि० में दिये गये प्रावधान के
(घ) ऐसी संस्वीकृति स्वीकार्य है, सिवाय धारा 29 भा०स०अधि० में दिये गये प्रावधान से ।

21. In case of merger of the complaint with the police report the procedure to be followed for the trial—

- (a) Shall be of the complaint case
(b) Shall be of the case instituted on the police report
(c) Shall be of both as per convenience during the trial
(d) Shall be the one as directed by the Magistrate .

परिवाद वाले मामले का और उसी से संबंधित पुलिस रिपोर्ट से पैदा होने वाले मामले के विलयन होने पर विचारण की निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन होगा—

- (क) परिवाद वाले मामले की तरह
(ख) पुलिस रिपोर्ट पर दर्ज मामले की तरह
(ग) दोनों की तरह विचारण के दौरान सहूलियत के अनुसार
(घ) मजिस्ट्रेट के निर्देश पर ।

22. 'Z' under the influence of madness attempts to kill 'A' What is true—

- (a) 'Z' has committed no offence and 'A' has no right of private defence
(b) 'Z' has committed offence and 'A' has no right of private defence
(c) 'Z' has committed no offence and 'A' has right of private defence
(d) 'Z' has committed offence and 'A' has right of private defence .

'जेड' न पागलपन के असर में 'ए' को जान से मारने का प्रयत्न करता है, क्या सही है—

- (क) 'जेड' ने कोई अपराध नहीं किया है और 'ए' को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है
(ख) 'जेड' ने कोई अपराध किया है और 'ए' को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है
(ग) 'जेड' ने कोई अपराध नहीं किया है और 'ए' को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है
(घ) 'जेड' ने कोई अपराध किया है और 'ए' को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है ।

23. What kind of property of an absconder may be attached—

- (a) Moveable Property (b) Immovable Property
(c) Both (a) and (b) (d) None of the above .

फरार व्यक्ति की किस प्रकार की सम्पत्ति कुर्क किया जा सकता है—

- (क) जंगम सम्पत्ति (ख) ग्यावर सम्पत्ति
(ग) (क) एवं (ख) दोनों (घ) उक्त कोई नहीं ।

24. In the Indian Constitution Criminal procedure is included in the—

- (a) Concurrent list (b) Union list
(c) State list (d) Either (a) or (b) .

भारतीय संविधान में दण्ड प्रक्रिया शामिल है—

- (क) सम्वर्ती सूची (ख) गणाय सूची
(ग) राज्य सूची (घ) (क) या (ख) ।

25. Which of the following offence was made non bailable by the Cr.P.C. Amendment Act, 2005—

- (a) 325 (b) 353
(c) 328 (d) 331

निम्नलिखित में से किस अपराध को द०प्र०सं० संशोधन अधि०, 2005 के तहत अजमानतीय बनाया गया है—

- (क) 325 (ख) 353
(ग) 328 (घ) 331 ।

26. Offence under Section 325 IPC is—

- (a) Compoundable (b) Non-Compoundable
(c) Compoundable With permission of court (d) Non of these .

धारा 325 भा०द०वि० के अंतर्गत अपराध—

(क) समन योग्य है

(ख) समन योग्य नहीं

(ग) न्यायालय के अनुज्ञा से समन योग्य

(घ) इनमें से कोई नहीं।

27. In computing the period of limitation in a criminal case the period of limitation in criminal case shall commence—

(a) On the date of offence

(b) Day on which FIR is instituted

(c) The first day on which identity of offender is known

(d) Any one of the above.

किस अपराधिक मामले में परिसीमा काल प्रारंभ होगा—

(क) अपराध की तारीख से प्रारंभ होगा

(ख) प्राथमिकी दर्ज होने की तारीख से प्रारंभ होगा

(ग) जिस दिन प्रथम बार अपराधी का पता चल जाता है

(घ) उपरोक्त में कोई भी।

28. The Code of Criminal procedure 1973 came into force on—

(a) 1st April, 1973

(b) 1st April, 1974

(c) 1st June, 1973

(d) 1st June, 1974.

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 लागू हुआ—

(क) 1 अप्रैल, 1973

(ख) 1 अप्रैल, 1974

(ग) 1 जून, 1973

(घ) 1 जून, 1974।

29. A private person can arrest an accused—

(a) Even if the crime is not committed in his presence

(b) If the crime is committed in his presence

(c) The crime is committed in his presence and crime is bailable

(d) The crime is committed in his presence and crime is nonbailable.

एक प्राइवेट व्यक्ति किसी अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है—

(क) जब उसकी उपस्थिति के बगैर अपराध किया गया हो

(ख) जब उसकी उपस्थिति में अपराध किया गया हो

(ग) जब उसकी उपस्थिति में अपराध किया गया हो और अपराध जमानतीय हो

(घ) जब उसकी उपस्थिति में अपराध किया गया हो और अपराध अजमानतीय हो।

30. Any police officer may arrest without warrant any person—

(a) Who has been concerned in any cognizable offence

(b) Who has been proclaimed as an offender

(c) Who is reasonably suspected of being a deserter from any armed forces

(d) All the above.

कोई पुलिस पदाधिकारी बिना किसी वारंट के किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है—

(क) जो कोई संज्ञेय अपराध कारित करता है

(ख) जो किसी आदेश द्वारा अपराधी उद्घोषित किया जा चुका है

(ग) जिसपर सशस्त्र बल से अभिव्यजक होने का उचित संदेह है

(घ) उपरोक्त सभी।

31. 'A' puts his hand in 'B' pocket but couldn't find anything in it. What offence has 'A' committed—

(a) No crime

(b) 380 IPC

(c) 379 IPC

(d) 379/511 IPC.

'ए' ने 'बी' की जेब में हाथ डाला परन्तु उसमें रुपये न होने के कारण कुछ निकाल नहीं पाया। 'ए' का अपराध क्या है—

(क) कोई अपराध नहीं

(ख) 380 भा०द०वि०

(ग) 379 भा०द०वि०

(घ) 379/511 भा०द०वि०।

32. Duty of public aware of commission of certain offence, to give information about that offences is provided under Cr.P.C.—

(a) Section 38

(b) Section 37

(c) Section 39

(d) Section 40.

कोई व्यक्ति जो कुछ खास अपराध के कारित होने से अवगत है, इस आशय की इतिला देगा जिसका प्रावधान धारा.....द०प्र०सं० में है—

(क) धारा 38

(ख) धारा 37

(ग) धारा 39

(घ) धारा 40 ।

33. According to sec. 102 Cr.P.C. who is empowered to seize property alleged or suspected to have been stolen—

(a) Any Constable on patrolling

(b) Any Magistrate

(c) Village head man

(d) Any police officer.

द०प्र०सं० की धारा 102 के अंतर्गत कौन ऐसी संपत्ति को अभिग्राहित कर सकता है, जिसके बारे में अभिकथन या संदेह है कि वह चुराई हुई है—

(क) कोई गस्ती करने वाला सिपाही

(ख) कोई माजस्ट्रेट

(ग) ग्राम प्रधान

(घ) कोई पुलिस पदाधिकारी ।

34. U/S 34 Cr.P.C. the powers of Officer-in-charge of a Police Station are available to—

(A) S.P.

(B) D. I., G. I.G. and D.G..P.

(C) Inspector

(D) D.M.

(a) Only A and D

(b) Only B and D

(c) Only A, B and D

(d) Only A, B and C

धारा 34 द०प्र०सं० के प्रावधान के अनुसार थानाध्यक्ष की शक्तियाँ किसे उपलब्ध होती हैं—

(क) पुलिस अधीक्षक

(ख) पुलिस उप-महानिरीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस महानिदेशक

(ग) पुलिस निरीक्षक

(घ) जिला दण्डाधिकारी ।

(क) सिर्फ क और घ

(ख) सिर्फ ख और घ

(ग) सिर्फ क, ख और घ

(घ) सिर्फ क, ख और ग ।

35. No statement under Sec. 161 is to be signed. But-----is an exception—

(a) Section 25 of Indian Evidence Act

(b) Section 26 of Indian Evidence Act

(c) Section 27 of Indian Evidence Act

(d) Section 24 of Indian Evidence Act.

धारा 161 द०प्र०सं० का कोई कथन हस्ताक्षरित नहीं होगा लेकिन..... इसका अपवाद है—

(क) धारा 25 भा०सा०अधि०

(ख) धारा 26 भा०सा०अधि०

(ग) धारा 27 भा०सा०अधि०

(घ) धारा 24 भा०सा०अधि० ।

36. When an officer in charge of a police station receives information that a person has died under circumstances raising a reasonable suspicion that some other person has committed an offence, he shall immediately give intimation to the nearest Executive Magistrate U/S-----Cr.P.C.—

(a) Section 172

(b) Section 173

(c) Section 174

(d) None of above.

जब पुलिस थाने का भारसाधक पदाधिकारी को यह इतिला मिलती है कि कोई व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में मरा है, जिनसे उचित रूप से संदेह पैदा होता है कि किसी अन्य व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, तो वह द०प्र०सं० के अंतर्गत इसकी सूचना निकट तक कार्यपालक मजिस्ट्रेट को देगा—

(क) धारा 172

(ख) धारा 173

(ग) धारा 174

(घ) इनमें से कोई नहीं ।

37. Who is authorized to record a statement u/s 161 & 164 Cr.P.C.—

(a) Police officer and Executive Magistrate

(b) Only Executive Magistrate

(c) Only Judicial Magistrate

(d) Police Officer and Judicial Magistrate.

161 एवं 164 द०प्र०सं० के अधीन संस्वीकृत अभिलिखित करने हेतु अधिकृत है—

(क) पुलिस अधिकारी एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट

(ख) केवल कार्यपालक मजिस्ट्रेट

(ग) केवल न्यायिक मजिस्ट्रेट

(घ) पुलिस अधिकारी तथा न्यायिक मजिस्ट्रेट ।

38. What category of Officer may apply to the Magistrate for appointment of Special Police Officer—

- (a) Assistant Sub-Inspector (b) Officer Incharge
 (c) Non Junior to Inspector (d) All the above.

विशेष पुलिस पदाधिकारी की नियुक्ति के लिये किस स्तर के पदाधिकारी मजिस्ट्रेट के पास आवेदित कर सकते हैं—

- (क) सहायक अवर निरीक्षक (ख) थानाध्यक्ष
 (ग) पुलिस निरीक्षक के अन्तर्गत (घ) उपरोक्त सभी।

39. When can leading question generally not be asked—

- (a) Examination-in-chief (b) Re-examination
 (c) Cross examination (d) Both (a) and (b)

सूचक प्रश्न सामान्य रूप से कब नहीं पूछा जा सकता है—

- (क) मुख्य परीक्षा (ख) प्रारंभिक परीक्षा
 (ग) पुनः परीक्षा (घ) (क) एवं (ख) दोनों।

40. A conditional order for removal of public nuisance under Section 133 of the Code of Criminal Procedure may be passed by—

- (a) District Magistrate
 (b) Sub-Divisional Magistrate
 (c) Executive Magistrate specially empowered
 (d) Any of the above Magistrates.

द०प्र०सं० की धारा 133 के अनुसार न्यूसन्स हटाने के लिये सशर्त आदेश दे सकता है—

- (क) जिला मजिस्ट्रेट (ख) अनुमण्डल दण्डाधिकारी
 (ग) विशेष सशक्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट (घ) उपरोक्त कोई भी।

Part 'B'/खंड 'ख'

Short answer type questions/लघु उत्तरीय प्रश्न

Answer any **four** questions. Each question carries **eight** marks. Each answer of the question should be in about **100** words.

किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न आठ अंकों का है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 100 शब्दों में दें।

1. Discuss the provisions against institution of false cases and giving false Evidence.

झूठा काण्ड संस्थित कराने एवं मिथ्या साक्ष्य देने के विरुद्ध प्रावधानों की विवेचना करें।

2. What are the procedure for investigation of cases under Prevention of Corruption Act, 1988?

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत मामले का अन्वेषण हेतु क्या प्रक्रिया है?

3. Oral Evidence must be direct. Discuss.

मौखिक साक्ष्य हमेशा प्रत्यक्ष होना चाहिये। विवेचना करें।

4. In statement under Section 161 Cr.P.C. can be used either by the Presiding Officer of the Court or by the Prosecuting Officer during Trial? Discuss.

क्या धारा 161 द०प्र०सं० के तहत दर्ज किया गया कथन का उपयोग विचारण के दौरान न्यायालय के पीठासीन पदाधिकारी या अभियोजन पदाधिकारी कर सकते हैं? व्याख्या करें।

5. Differentiate between Confession and Admission.

संस्वीकृति एवं स्वीकृति में अंतर करें।

6. Mention the circumstances under which possession of licensed arms becomes illegal under Arms Act?

शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत किस परिस्थिति में अनुज्ञापित प्राप्त शस्त्र रखना अवैध हो जाता है?

Part 'C'/खंड 'ग'

Long answer type questions/दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

Answer any three quoting relevant provisions of law. Each question carries sixteen marks.

विधि के प्रासंग प्रावधानों को संदर्भित करते हुये किन्ही तीन के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न सोलह अंकों का है।

16×3=48

1. Discuss the provisions of law to compel appearance of a person.
कानून में हाजिर होने को विवश करने के प्रावधानों का वर्णन करें।
2. What are the provisions in Bihar Police Manual to deal with unlawful assembly?
बिहार पुलिस हस्तक में विधिविरुद्ध जमाव से निपटने का क्या-क्या प्रावधान हैं ?
3. Under what circumstances culpable homicide amounts to an offence under murder?
किस परिस्थिति में आपराधिक मानव वैध हत्या का अपराध हो जाता है ?
4. Discuss the provision of confiscation of proceeds of crime under PMLA 2002, and The unlawful Activities (Prevention) Act, 1967?
पी०एम०एल०ए०, 2002 एवं विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 में अपराध जनित सम्पत्ति को राजसात् करने का क्या प्रावधान है ?
5. How are the interest of depositors protected under Bihar protection of interest of Depositors Act, 2002?
जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा किस प्रकार से बिहार जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2002 द्वारा की जा रही है ?